

कार्यालय आदेश सं.101/2018


महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं.89, पृष्ठांकन संख्या - का/210/4-3/टी/भाग -VIII (I)गोरखपुर दिनांक-14.05.2018 द्वारा श्री अतुल यादव ,मंवाप्र/वाराणसी का स्वयं के अनुरोध पर उत्तर मध्य रेलवे पर स्थानान्तरण किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है ।

मंडल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक 22.05.2018

सं. का/191/राज /अतुल यादव /पीसी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबन्धक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. प्रमुपरिप्र/प्रमुवाप्र/गोरखपुर ।
5. प्रमुकाधि/प्रमुपरिप्र/प्रमुवाप्र/विसमुलेधि उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद ।
6. वमंपचाप्र/वमंवाप्र लखनऊ, इज्जतनगर एवं वाराणसी ।
7. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
8. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
9. मरेप्र/अमरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. वमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. वमंकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
12. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
13. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो. ।
14. सम्बन्धित अधिकारी।


22-05-18
कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी